

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 मई 2016—ज्येष्ठ 3, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2016

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.—इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3, दिनांक 27 अगस्त 2012 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, खिरकिया, जिला हरदा के “क्षेत्र” को हरदा जिले की सिराली मंडी क्षेत्र को “उक्त क्षेत्र” से विपाटित करके स्वतंत्र मंडी घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 76(2) के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति, खिरकिया एवं सिराली की आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजनार्थ प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया से प्राप्त हुआ है. कृषि उपज मंडी समिति, खिरकिया द्वारा नव गठित कृषि उपज मंडी समिति, सिराली को राशि रुपये 57,77,000/- (सत्तावन लाख, सतहत्तर हजार मात्र) दिये जाने की अनुशंसा की गई है.

अतः, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 76(3) प्रयोग करते हुए, कृषि उपज मंडी समिति, खिरकिया रुपये 57,77,000/- (सत्तावन लाख, सतहत्तर हजार मात्र) नवगठित कृषि उपज मंडी समिति, सिराली को भुगतान करने की सूचना जारी करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र में” प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल द्वारा प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2016

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 24th May 2016

No. D-15-12-2012-XIV-3.—*Vide* this department's Notifications No. D-15-12-2012-XIV-3, dated 27th August 2012, the Khirkia comprising of Khirkia Tehsil as its market area has been declared as in independent Market after splitting from the market area of Sirali, District Harda.

As specified in Section 76(2) of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973), Sub Divisional Megistrate, Khirkia has been apportionment of the assets and Liabilities between the Krishi Upaj Mandi Committees Khirkia, Sirali. Apportion Officer has recommended the amount of Rs. 57,77,000/- (Fifty Seven Lakh, Seventy Seven Thousand Only) to be released by the Krishi Upaj Mandi Committee Khirkia to Newly Constituted Krishi Upaj Mandi Committee Sirali.

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973), in the Section 76(3) the State Government hereby issue notice to make Payment of Rs.57,77,000/- (Fifty Seven Lakh, Seventy Seven Thousand Only) by Krishi Upaj Mandi Committee Khirkia to newly constituted Krishi Upaj Mandi Committee Sirali.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.